

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:—पं.दी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 184

प्रकरण सं.:— 166
दिनांक:— 29/7/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणधरी व मू.अ.
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लक्ष्मीनगर व नकोड़ा
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 23, 22 व 4
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>लक्ष्मीनगर</u>	<u>4</u>	<u>300/215</u> <u>301/215</u>	<u>चम्पाराम</u>	<u>चोपाराम</u>
02	<u>नकोड़ा</u>	<u>22</u>	<u>302/215</u> <u>195</u>	<u>चम्पाराम</u>	
03	<u>लक्ष्मीनगर</u>	<u>23</u>	<u>266/203</u>	<u>चोपाराम</u>	

क्रमांक:—सम./2025 / 185-187
प्रतिलिपि:—

3
(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:— 29/7/25

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्रार्थी चोपाराम / चम्पाराम तहसील सिणधरी को सूचमाथ।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

